मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल 462004

क्रमांक : एफ 1-42/2008/20-1 भोपाल, दिनांक 15-4-2008

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त आयुक्त
   नगर निगम, मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन
   अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश ।

विषयः— वर्ष 2003 में संशोधित भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों का अध्यापक संवर्ग में वस्तुपरक मूल्यांकन उपरांत नियुक्ति।

संदर्भः— 1. विभाग का आदेश क्र0 एफ 1—4/2007/20—1 दिनांक, 28.6.2007।
2. आदेश क्र0 एफ 1—29/2007/20—1/3/58 दिनांक, 19.12.2007।

—0—

विभाग के संदर्भित आदेशों के अनुक्रम में वर्ष 2003 के संशोधित भर्ती नियमों के अंतर्गत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने के निर्देश दिये गए है। स्मरणीय है कि संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति शासन आदेश दिनांक 28.6.2007 के द्वारा निम्न शर्तों के अधीन करने के निर्देश हैं :—

1— संविदा शाला शिक्षकों को तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति काल पूर्ण करने के उपरान्त अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता पर विचार एक छानबीन समिति द्वारा किया जाए। संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्त तभी किया जाए जब संविदा काल में उनका कार्य विभाग द्वारा निर्धारित वस्तुपरक मापदण्ड के अनुरूप रहा हो तथा उनके द्वारा एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त कर ली गई हो। अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के समय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए।

2— जिन संविदा शाला शिक्षकों का संविदा काल में कार्य निर्धारित वस्तुपरक मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के आधार पर नये संवर्ग में प्रवेश नहीं दिया जाता है उनकी संविदा का आगे नवीनीकरण नहीं किया जाए ।

3— जिन संविदा शाला शिक्षकों का संविदा काल में कार्य निर्धारित वस्तुपरक मापदण्डों के अनुरूप रहा है परन्तु केवल निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त नहीं होने के कारण उनकी नये संवर्ग में नियुक्ति नहीं हो पायी हो उनकी संविदा अवधि का आगामी तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाए तथा उन्हें स्वयं के व्यय पर शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। संविदा शाला शिक्षकों को इस हेतु एक बार सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने पर ही पुनः उनकी अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता के संबंध में छानबीन समिति द्वारा विचार किया जाए और योग्य पाए जाने पर उन्हें अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाए।

4— संविदा शाला शिक्षकों को निश्चित वेतन पर संविदा पर नियुक्ति दी गई थी। अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति द्वारा उन्हें सेवा में सुरक्षा (Job Security) एवं नियमित वेतनमान प्राप्त होंगे। 3 वर्ष की संविदा नियुक्ति काल के बाद उनके संविदा राशि में 15 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त होने का प्रावधान पूर्व से ही है। अतः इस स्टेज पर उन्हें अध्यापक संवर्ग के वेतनमान में वेतन वृद्धि देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। अतः संशोधित नियम 2003 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाए।

5— मंत्रि परिषद के उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता के संबंध में जांच हेतु छानबीन समिति निम्नानुसार होगी :—

(अ) जिला पंचायत/जनपद पंचायत के लिये :—

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत — अध्यक्ष

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (संबंधित) — सदस्य

(3) जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास — सदस्य सचिव

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग का एक अधिकारी यदि उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हों, तो — सदस्य

(ब) नगर पालिका एवं नगर पंचायत के लिये :—

(1) कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधि (नगर पालिका एवं नगर पंचायत के लिये) — अध्यक्ष

(2) मुख्य नगर पालिका अधिकारी,, नगर पालिका/नगर पंचायत — सदस्य सचिव

(3) जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास — सदस्य

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग का एक अधिकारी यदि उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हों, तो — सदस्य

(स) नगर निगम के लिये :—

(1) आयुक्त नगर निगम — अध्यक्ष

(2) जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास — सदस्य सचिव

(3) कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग का एक अधिकारी यदि उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हों, तो — सदस्य

6— छानबीन समिति द्वारा उपयोग किये जाने वाले निर्धारित मापदण्ड के वस्तुपरक मूल्यांकन के प्रपत्र (भाग—1 एवं 2) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों हेतु पृथक—पृथक संलग्न हैं।

7— संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में परिवीक्षा पर दिनांक 01/04/2007 से नियुक्त करने की कार्यवाही करें।

संलग्न—वस्तुपरक मूल्यांकन प्रपत्र

(के.सी. पंत)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा

पृ0कमांक : एफ 1-42/2008/20-1 भोपाल, दिनांक 15-4-2008

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल ।
5. समस्त, संभागायुक्त, म.प्र./आयुक्त, जनसम्पर्क, म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
7. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल ।
8. समस्त, संयुक्त संचालक, शिक्षा संभागीय कार्यालय, म.प्र.।
9. समस्त, सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. ।
10. समस्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, म.प्र. ।
11. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र. ।
12. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।

अदर सचिव
म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा

वस्तुपरक मूल्यांकन प्रपत्र (ग्रामीण) भाग–1

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत/जनपद पंचायत,

.....

जिला.....

मध्यप्रदेश.

विषयः–संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1/श्रेणी–2/श्रेणी–3 को अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए वस्तुपरक मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र।

––0––

1.	नाम	: .....
2.	पिता का नाम	: .....
3.	जन्म दिनांक	: .....
4.	पदनाम	: संविदा शाला शिक्षक श्रेणी –1, श्रेणी –2 एवं 3
5.	संविदा मानदेय रूपये	: .....
6.	संविदा पद पर नियुक्ति दिनांक एवं वर्ष	: .....
7.	कार्यरत संस्था का नाम	: .....
8.	संस्था में पदभार ग्रहण करने का दिनांक	: .....
9.	नियुक्ति प्राधिकारी का नाम	: .....
...		.....
10.	शैक्षणिक योग्यता	: .....
11.	शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधि * * (एन.सी.टी.ई.द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार)	: .....
12.	क्या शैक्षणिक सत्र में निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कार्य संपन्न किया गया? (विगत तीन वर्ष का वर्षवार विवरण देवें)	: ....

13. पढ़ाई गई कक्षा का विगत 3 वर्ष का परीक्षा परिणामः—

स.क्र.	पढ़ाई गई कक्षाएं	विगत 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम			औसत परीक्षा परिणाम
		वर्ष	वर्ष	वर्ष	

14. क्या आवेदक के विरूद्ध विगत तीन वित्तीय वर्ष में अनुशासनात्मक : .....

.....

कार्यवाही / जॉच अथवा कारण बताओं सूचना की

कार्यवाही की गई है ?

(यदि हां तो विवरण दें) : .....

.....

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्तानुसार दी गई जानकारी पूर्ण तथा सत्य है तथा इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर इसका उत्तरदायित्व मेरा होगा एवं असत्य जानकारी पाए जाने पर मेरे विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

कार्यरत संस्था .....

दिनांक .....

*** * टीप** :— क्रमांक–11 पर अंकित कॉलम में संविदा शाला शिक्षक वर्ग–1 के लिये बी.एड./बी.एड(विशेष शिक्षा), संविदा शाला शिक्षक वर्ग–2 के लिये बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा),/बी.टी.सी./डी.एड./डी.एस.ई. और संविदा शाला शिक्षक वर्ग–3 के लिये डी.एड./बी.टी.सी./डी.एस.ई. की उपाधि/पत्रोपाधि मान्य होगी।) शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधि की सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाए।

वस्तुपरक मूल्यांकन प्रपत्र (ग्रामीण)

भाग—2

संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने हेतु वस्तुपरक मूल्याकंन प्रपत्र

संविदा शाला शिक्षकों को परिवीक्षा पर अध्यापक संर्वा में नियुक्त हेतु पात्रता के लिए निम्न शर्तों की पूर्ति आवश्यक होगी :—

1. परीक्षा परिणाम — संविदा शाला शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई कक्षाओं का विगत तीन वर्ष का औसत परीक्षा परिणाम,

(अ) कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई गई कक्षाओं का औसत परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत से अधिक है,

(ब) कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई गई कक्षाओं का औसत परीक्षा परिणाम 40 प्रतिशत से अधिक है,

(स) कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई गई कक्षाओं का औसत परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से अधिक है,

2. शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधि

(एन.सी.टी.ई.द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार)

1.1 उपाधि/पत्रोपाधि का नाम : .....

1.2 उत्तीर्ण करने का वर्ष : .....

1.3 विश्वविद्यालय/संस्था का नाम : .....

3. यदि विगत तीन वित्तीय वर्षो में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो अथवा कार्यवाही प्रचलित हो, तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जावें : हॉ/नहीं

: .....

छानबीन समिति द्वारा श्री/श्रीमती/कु ..... संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–..... संस्था.....जिला..... को

(i) उपरोक्त मापदण्ड 1, 2 एवं 3 की कसौटी पर उपयुक्त पाये जाने पर अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के पद पर दिनांक ..... से परिवीक्षा पर नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

परिवीक्षा अवधि में अकादमिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें सफल होने के उपरांत ही परिवीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी।

अथवा

(ii) कंडिका–1 की कसौटी पर उपयुक्त नही पाए जाने तथा/अथवा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई होने की स्थिति में अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। इनकी संविदा का आगे नवीनीकरण नहीं किया जाए।

अथवा

(iii) मापदण्ड की कसौटी 1 एवं 3 पर उपयुक्त पाए जाने परंतु कंडिका–2 अनुसार निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि / पत्रोपाधि प्राप्त नहीं करने के कारण अध्यापक संवर्ग में परिवीक्षा पर नियुक्त करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। इनके संविदा अवधि का आगामी तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाए तथा उन्हें स्वयं के व्यय पर शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। संविदा शाला शिक्षकों को इस हेतु एक बार सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने पर ही पुनः उनकी अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता के संबंध में

छानबीन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और योग्य पाए जाने पर उन्हें अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाएगा।

अथवा

–5–

(iv) कंडिका–1 एवं 2 में उपयुक्त पाए जाने तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहीप्रचलित होने के कारण अध्यापक संवर्ग में इनकी परिवीक्षा न्युिक्ति वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहा अध्यापक के पद पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतिम निर्णय के अध्याधीन करने की अनुशंसा की जाती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषमुक्त होन की स्थिति में ही परिवीक्षा पर नियुक्त किये जाने की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि में अकादमिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें सफल होने के उपरान्त ही परिवीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी।

हस्ताक्षर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (अध्यक्ष)	हस्ताक्षर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (संबंधित) (सदस्य)	हस्ताक्षर अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग का एक अधिकारी (यदि हो तो) (सदस्य)	हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी/ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (सदस्य सचिव)

टीप :– (1) ऐसे संविदा शाला शिक्षक जिनकी 3 वर्ष की सेवा पूरी हो गई है का वस्तुपरक मूल्यांकन उक्तानुसार उल्लेखित मापदण्डों के अनुसार किया जाकर उन्हें अध्यापक संवर्ग में परिवीक्षा में नियुक्त किया जावेगा।

(2) वस्तुपरक मूल्यांकन प्रपत्र (भाग–1) की कंडिका 13 में वर्णित परीक्षा परिणाम उपरोक्त कंडिका 1 में बताये गये निर्धारित मापदण्ड से कम होने पर , संविदा शाला शिक्षक को अध्यापक संवर्ग में परिवीक्षा पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

(3) परिवीक्षा अवधि में अकादमिक प्रशिक्षण दिया जाएगा , जिसमें सफल होने के उपरांत ही परिवीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी।

वस्तुपरक मूल्यांकन प्रपत्र (नगरीय)
भाग–1

प्रति,

आयुक्त, नगर निगम / मुख्य नगरपालिका अधिकारी /
नगर पालिका / नगर पंचायत
स्थान.....
जिला.....
मध्यप्रदेश.

विषयः–संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 / श्रेणी–2 / श्रेणी–3 को अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए वस्तुपरक मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र।

––0––

1.	नाम	: .....
2.	पिता का नाम	: .....
3.	जन्म दिनांक	: .....
4.	पदनाम	: संविदा शाला शिक्षक श्रेणी –1, श्रेणी –2 एवं श्रेणी –3
5.	संविदा मानदेय रूपये	: .....
6.	संविदा पद पर नियुक्ति दिनांक एवं वर्ष	: .....
7.	कार्यरत संस्था का नाम	: .....
8.	संस्था में पदभार ग्रहण करने का दिनांक	: .....
9.	नियुक्ति प्राधिकारी का नाम	: ....
10.	शैक्षणिक योग्यता	: .....
11.	शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि / पत्रोपाधि * * (एन.सी.टी.ई.द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार)	: .....
12.	क्या शैक्षणिक सत्र में निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कार्य संपन्न किया गया ? (विगत तीन वर्ष का वर्षवार विवरण देवें)	: ....

13. पढ़ाई गई कक्षा का विगत 3 वर्ष का परीक्षा परिणामः–

स.क्र.	पढ़ाई गई कक्षाएं	विगत 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम			औसत परीक्षा परिणाम
		वर्ष	वर्ष	वर्ष	

14. क्या आवेदक के विरूद्ध विगत तीन वित्तीय वर्ष में अनुशासनात्मक : ....
कार्यवाही/जॉच अथवा कारण बताओं सूचना की
कार्यवाही की गई है?
(यदि हां तो विवरण दें) : ....

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्तानुसार दी गई जानकारी पूर्णतथा सत्य है तथा इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर इसका उत्तरदायित्व मेरा होगा एवं असत्य जानकारी पाए जाने पर मेरे विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

कार्यरत संस्था ....

दिनांक ....

** **(टीप) :– क्रमांक–11 पर अंकित कॉलम में संविदा शाला शिक्षक वर्ग–1 के लिये बी.एड./बी.एड (विशेष शिक्षा), संविदा शाला शिक्षक वर्ग–2 के लिये बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा),/बी.टी.सी./डी.एड./डी.एस.**

ई. और संविदा शाला शिक्षक वर्ग–3 के लिये डी.एड./बी.टी.सी./डी.एस.ई. की उपाधि/पत्रोपाधि मान्य होगी।) शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधि की सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाए।

वस्तुपरक मूल्यांकन प्रपत्र (नगरीय)

भाग–2

संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने हेतु वस्तुपरक मूल्याकंन प्रपत्र

संविदा शाला शिक्षकों को परिवीक्षा पर अध्यापक संवर्ग में नियुक्त हेतु पात्रता के लिए निम्न शर्तों कीपूर्ति आवश्यक होगी :–

1. **परीक्षा परिणाम** – संविदा शाला शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई कक्षाओं का विगत तीन वर्ष का औसत परीक्षा परिणाम,
   - **(अ)** कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई गई कक्षाओं का औसत परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत से अधिक है,
   - **(ब)** कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई गई कक्षाओं का औसत परीक्षा परिणाम 40 प्रतिशत से अधिक है,
   - **(स)** कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई गई कक्षाओं का औसत परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से अधिक है,

2. **शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधि**

   (एन.सी.टी.ई.द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार)

   1.1 उपाधि/पत्रोपाधि का नाम : .....

   1.2 उत्तीर्ण करने का वर्ष : .....

   1.3 विश्वविद्यालय/संस्था का नाम : .....

3. यदि विगत तीन वित्तीय वर्ष में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो अथवा कार्यवाही प्रचलित हो, तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जावें — हॉ/नहीं : .....

.....

छानबीन समिति द्वारा श्री/श्रीमती/कु ..... संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–..... संस्था.....जिला..... को

(i) उपरोक्त मापदण्ड 1, 2 एवं 3 की कसौटी पर उपयुक्त पाये जाने पर अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के पद पर दिनांक ..... से परिवीक्षा पर नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

परिवीक्षा अवधि में अकादमिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें सफल होने के उपरांत ही परिवीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी।

अथवा

(ii) कंडिका–1 की कसौटी पर उपयुक्त नहीं पाए जाने तथा/अथवा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई होने की स्थिति में अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। इनकी संविदा का आगे नवीनीकरण नहीं किया जाए।

अथवा

(iii) मापदण्ड की कसौटी 1 एवं 3 पर उपयुक्त पाए जाने परंतु कंडिका–2 अनुसार निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि / पत्रोपाधि प्राप्त नहीं करने के कारण अध्यापक संर्वा में परिवीक्षा पर नियुक्त करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। इनके संविदा अवधि का आगामी तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाए तथा उन्हें स्वयं के व्यय पर शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। संविदा शाला शिक्षकों को इस हेतु एक बार सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने पर ही पुनः उनकी अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता के संबंध में

छानबीन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और योग्य पाए जाने पर उन्हें अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाएगा।

अथवा

(iv) कंडिका—1 एवं 2 में उपयुक्त पाए जाने तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित होने के कारण अध्यापक संवर्ग में इनकी परिवीक्षा नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहा. अध्यापक के पद पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतिम निर्णय के अध्याधीन करने की अनुशंसा की जाती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषमुक्त होन की स्थिति में ही परिवीक्षा पर नियुक्त किये जाने की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि में अकादमिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें सफल होने के उपरान्त ही परिवीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी।

नगर पालिका/नगर पंचायत के लिये :—

हस्ताक्षर कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधि (नगर पालिका/नगर पंचायत के लिये अध्यक्ष)	हस्ताक्षर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत सदस्य सचिव	हस्ताक्षर अनु. जाति/अनु. जनजाति का एक अधिकारी यदि हो तो (सदस्य)	हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग (नगर पालिका/नगर पंचायत) (सदस्य)

नगर निगम के लिये :—

हस्ताक्षर आयुक्त नगर निगम (अध्यक्ष)	हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग (सदस्य सचिव)	हस्ताक्षर अनु. जाति/अनु. जनजाति का एक अधिकारी यदि हो तो (सदस्य)	हस्ताक्षर कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधि (सदस्य)

टीप :— (1) ऐसे संविदा शाला शिक्षक जिनकी 3 वर्ष की सेवा पूरी हो गई है का वस्तुपरक मूल्यांकन उक्तानुसार उल्लेखित मापदण्डों के अनुसार किया जाकर उन्हें अध्यापक संवर्ग में परिवीक्षा में

नियुक्त किया जावेगा।

(2) वस्तुपरक मूल्यांकन प्रपत्र (भाग–1) की कंडिका 13 में वर्णित परीक्षा परिणाम उपरोक्त कंडिका 1 में

बताये गये निर्धारित मापदण्ड से कम होने पर , संविदा शाला शिक्षक को अध्यापक संवर्ग में

परिवीक्षा पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

(3) परिवीक्षा अवधि में अकादमिक प्रशिक्षण दिया जाएगा , जिसमें सफल होने के उपरांत ही परिवीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी।